भा.कृ.अ.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली–110012
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
New Delhi-110012

Website – www.iari.res.in Email – director@icar.res.in Phone – 011-25843375

No. 14-2/2023/H/ 1782 **Dated: May 30, 2025**

Smt. Durga Shakti Nagpal,
House No. 20 (First Floor),
Chanan Singh Park/ Kirby Place,
Delhi Cantt.,
New Delhi-110010

Subject: Information under Right to Information Act, 2005-reg.

Madam,

Please refer to your offline RTI request dated 13.05.2025 for providing certified copies of all correspondence issued to you by IARI with regard to Bungalow No. B-17 (Type-VI-A), IARI, Pusa Campus, New Delhi, under Right to Information Act, 2005.

An amount of Rs. 84/- (Rupees Eighty-Four only) has been received towards the cost for providing RTI information. Accordingly, the information as desired by you under RTI Act, 2005 is attached with this letter.

If you are not satisfied with the reply, you may appeal to Sh. Kumod Kaushal, Appellate Authority & A.O. (H).

Yours' faithfully,

30/05/2025

CPIO & A.A.O.
(Housing Section)

Encl: As above

Copy to:

1. Nodal Officer, RTI Section, ICAR-IARI, New Delhi-110012 for information.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

नई दिल्ली -110012

आवास अनुभाग

मिसिल संख्या : 3-6|2014-H

दिनांक : 19|03|2015

ज्ञापन

निदेशक महोदया की स्वीकृति से बंगला नं० B-17 (TYPE-VA)

सक्षम प्राधिकारी, भा.कृ.अनु.सं. इस संस्थान में आवास संख्या Bungalow No. B17 (Type-VA) का आवंटन श्री/श्रीमति/डॉ. दुर्गाशक्ती नागपाल (ओ.एस.डी.) के नाम से निम्नलिखित शर्तों पर करते हैं।

1. उक्त आवास के आवंटन की स्वीकृति की सूचना निर्धारित फार्म, जो कि आवास अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है, जो उनके द्वारा इस ज्ञापन के जारी होने की तारीख से पाँच दिनों के अंदर इस कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए और आवास का कब्जा कनिष्ठ अभियंता, के.लो.नि.वि. / भा.कृ.अनु.सं., इंकवयरी कार्यालय, नई दिल्ली से इस ज्ञापन की जारी तिथि से आठ दिनों की अवधि के भीतर, इस कार्यालय से प्राधिकारी पत्र प्राप्त करने के बाद ले लिया जाएगा।
2. यदि इस आवंटन की स्वीकृति इस कार्यालय को पाँच दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर प्रेषित नहीं कर दी जाती तो उक्त आवास का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा और इस ज्ञापन के जारी होने की तारीख से एक साल की अवधि के लिए वे आवंटन के लिए हकदार नहीं होंगे तथा यदि वह पहले से ही किसी आवास के आवंटी हैं तो पूरी आवंटन वर्ष की अवधि के लिए अन्य आवंटन के हकदार नहीं होंगे। यदि आवंटित आवास का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है और वे उसे 3 या 6 माह के लिए स्थगित करना चाहते हैं तो वे पाँच दिन के अंदर इस आशय की प्रार्थना भेज दें। 3 या 6 माह के समय बीतने पर पुन: आवास आवंटन के लिए प्रार्थना 5 दिन के अंदर करनी होगी। ऐसा न करने पर पुन: आवंटन नही किया जाएगा।
3. जनमे एफ आर -45 के अंतर्गत उक्त आवास के कब्जे की वास्तविक तारीख से या इस ज्ञापन के जारी होने की तारीख से आठवें दिन में, इनमें से जो भी पहले हो, लाइसेन्स शुल्क वसूल किया जाएगा।
4. यदि वह अस्थायी सरकारी कर्मचारी हैं तो स्थायी सरकारी कर्मचारी से निर्धारित फार्म में जमानती बंध-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वे स्थायी कर्मचारी हैं तो उनके वर्तमान संभाग/ कार्यालय से इस तरह का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
5. उन्हें एक घोषणा प्रस्तुत करना होगी कि उन्होने समय समय पर संशोधित की गई भा.कृ.अनु.सं. (आवास आवंटन) नियमावली 1982 पढ़ ली है और वे उसका पूर्णत: पालन करते हैं।
6. कि उन्हें मरम्मत, सफेदी आदि करवाने के लिए कब्जे के लिए आठ दिनों की अवधि से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा।
7. के.लो.नि.वि. से उक्त आवास का कब्जा लेने पर कर्मचारी को अपने डी.डी.ओ./ अधोहस्ताक्षरी को कब्जे की तारीख सूचित कर देना चाहिए जिससे कि लाइसेंसे शुल्क की वसूली तत्काल की जा सके।

Authority issued.
16/4/15

16.04.15

TEERTH RAJ MEENA, UDC (HEU)

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।
30/05/25

8. यदि वे किसी अन्य आवास के आबंटी है तो उन्हें इस आवास का कब्जा सी.पी.डबल्यू.डी./ एन.पी.सी.सी. को सौंपने पर,उक्त आवास के लाइसेन्स शुल्क के अंतिम समायोजन के लिए लाइसेन्स शुल्क की वसूली के लिए अपने डी.डी.ओ./ अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक रूप से सूचित कर देना चाहिये।
9. बिजली / पानी प्रभारों के बिलों का भुगतान आबंटी द्वारा सीधे एन.डी.पी.एल. को किया जाएगा।
10. यदि उसके पिता/पत्नी स्व: श्री/श्रीमति/डॉ. के नाम आवंटित आवास संख्या ____________ का किसी प्रकार का बकाया देय होगा तो भुगतान की ज़िम्मेदारी स्वयं उनकी होगी।
11. निदेशक महोदय के आदेशानुसार Licence fee (6 times) Six times के अनुसार कटौती करनी है। (guideline as per Govt. of India rules)

प्रशासनिक अधिकारी (आ)

सेवा में

~~श्री~~/श्रीमति/ ~~डॉ.~~ ~~दुर्गाशक्ति नागपाल~~ OSD(MA) to
~~खास स.प्र.अधि.~~ Minister of ~~Agriculture~~
~~भा.कृ.अनु.सं.~~, नई दिल्ली-~~110012~~ के माध्यम से
कृषि भवन

प्रति सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :

1. संभाग अध्यक्ष Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan भा.कृ.अनु.सं., नई दिल्ली-110012
2. कनिष्ठ अभियंता(सिविल),सी.पी.डबल्यू.डी. इन्क्वायरी /एन.पी.सी.सी., भा.कृ.अनु.सं. कृषि कुंज/ पूसा कैम्पस। यह अनुरोध किया जाता है कि आवास पर कब्जे की अनुमति आबंटी को प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद ही दी जाये और आवास के कब्जे/ खाली करवाने की रिपोर्ट इस कार्यालय को भेज दी जाये। यदि इस ज्ञापन में निहित आठ दिनों की सामी सीमा समाप्त हो जाये तो आवास का कब्जा किसी भी हालत में न दिया जाये।
3. कनिष्ठ अभियंता (विधुत) सी.पी.डबल्यू.डी., इन्क्वायरी कार्यालय, भा.कृ.अनु.सं., नई दिल्ली-110012
4. अधीक्षक (वाणिज्यिक) नॉर्थ दिल्ली पावर लि., इंद्रपुरी, नई दिल्ली।
5. सहायक, राजस्व अधिकारी (जल)आर.के. पुरम, नई दिल्ली।
6. निगरानी सहायक, आवास अनुभाग, निदेशालय, भा.कृ.अनु.अनु.सं., नई दिल्ली-110012
7. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय(निर्माण)
8. सहायक प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण अनुभाग)
9. प्रभारी एम.ई.यू., निदेशालय
10. P.P.S to DG, ICAR - कृपया सूचनार्थ।

कृ. प्रशासनिक अधिकारी (आ)

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

Central Public Works Department

सरकारी आवास खाली करने की रिपोर्ट

Occupation ~~VACCATION~~ REPORT OF GOVERNMENT RESIDENCE

मण्डल/उप-मंडल / Division/Sub-Division

0241/6/15

पूछताछ कार्यालय
Enquiry Office — Sub Division-4

सेवा में/To

संपदा निदेशक
The Director of Estate,
निर्माण भवन, नई दिल्ली
Nirman Bhawan, New Delhi
(एक अतिरिक्त प्रति के साथ)
(with one space copy)

403 18/04/15

1. पंजीकृत संख्या
Registration No. : 3 6 2 0 1 5 H

2. आवास का विवरण
Particulars of Accommodation

i. टाइप
Type : VI A

ii. इलाका कोड
Locality Code : Pusa Complex, New Delhi
(यदि कोड की जानकारी न हो तो इलाके का नाम लिखें)
(Mention locality name if code is not known)

iii. ब्लाक/सैक्टर
Block/Sector : B Type Bungalow

iv. क्वाटर सं०
Quarter No. : B - 1 7

v. तल
Floor : G F

3. सज्जित या असज्जित
Furnished or Unfurnished : F
(स अ./F/U)

4. ~~खाली~~ कब्जा करने की तारीख/Date of ~~Vaccation~~ occupation

तारीख
Date : 1 6 0 4 1 5
दि. दि. म. म. व. व.
D D M M Y Y

समय :
Time : 11 : 55 A.M.
(पूर्वा/अपरा)
(FN/AN)

5. आवास के ब्यौरे
Accommodation Details
i. मुख्य गृह/Main House ✓
ii. नौकर गृह/Servant Qrs. ✓
iii. गैराज/Garrage ✓

(उनकी संख्या भी लिखें)
(also indicate their number)

After repair of quarter the physical allottee took the possession of the quarter on 01/05/2015.
[signature] 21.5.15

6. फर्नीचर आदि उपकरणों के साथ दी गई वस्तुओं (टिकाऊ और गैर टिकाऊ) के अलग-अलग ब्यौरे
Details of article (durable and non-durable separately) supplied with furniture etc. appliance

7. जुड़नारों में यदि कोई कमी या खराबी हो तो उसका ब्यौरा
Details of shortcoming or defects in fittings, if any

8. आबटिती का नाम और पदनाम (बड़े अक्षरों में) : Smt. Durga Shakti Nagpal
Name & Desg. of allotee (in capital letters)

9. कार्यालय जिससे संबंध है : Ministry of Agriculture.
Office to which attached

[signature]
एस. एस. मान
कनिष्ठ अभियन्ता
उप मंडल-IV, के.लो.नि.वि.
नई दिल्ली-110012

(पूछताछ कार्यालय के प्रभारी कनिष्ठ इन्जीनियर के हस्ताक्षर)
(Signature of Junior Engineer incharge of Enquiry Office)

D Sahitt
(आबटिती के हस्ताक्षर)
(Signature of Alloatee)

संपदा निदेशालय में प्रयोग के लिए
FOR USE IN THE DIRECTORATE OF ESTATE

अनुभाग
Section

Smt. Uma
17/4/15

सीट
Seat — सी-2 आर 30/05/15

किराया कार्ड नं०
Rent Card No.

यह सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत प्रदान की गई है।

(लेखाकार/अधीशक के आद्यक्षर)
Initials of Accountant/Superintendent)

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली-12

दिनांक: 23/05/2015

संख्या: 21-18/75-आवास

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि भवन
नई दिल्ली-

विषय: श्री/श्रीमती/डा. दुर्गा शक्ती नागपाल, कृषि मंत्री की विशेष कार्याधिकारी को आवंटित किए गए आवास संख्या B-17 टाईप-V-A के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क की वसूली।

आपके संभाग/अनुभाग के श्री/श्रीमती/डा. दुर्गा शक्ती नागपाल को इस संस्थान के आवास संख्या B-17 टाईप-V-A का आवंटन होने पर उन्होने कथित आवास पर दिनांक 16-4-2015(F/N) को कब्जा ले लिया हैं। कथित आवास के लिए लाइसेंस शुल्क + जलप्रभार जोकि @ 1100X6 = 6600/= रुपए प्रतिमाह हैं, उनके मासिक वेतन बिल से 01/5/2015 से प्रभावी होकर वसूल की जाए और वसूल अनुसूचियों की एक प्रति संबंधित लेखा परीक्षा के माध्यम से इस कार्यालय को भेज दी जाए। जैसा कि कनिष्ठ अभियन्ता सी.पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा जारी कब्जा रिर्पोट पर टिप्पणी में श्री अमित मित्तल ने लिखा है कि यह आवास मरम्मत में होने के इसका वास्तविक कब्जा दिनांक 01-5-2015 को ही दिया गया।

[signature] 22/5/15
~~स. प्रशासनिक अधिकारी~~/ प्रशासनिक अधिकारी
(आवास) (Rajaram)

प्रति:-

1. लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षा I/II भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-12. कृपया यह सुनिश्चित करें कि मासिक वसूलियाँ नियमित रुप से उनके मासिक वेतन बिलों से की जाए।

2. श्री/श्रीमती/डा. दुर्गा शक्ती नागपाल, कृषि मंत्री की विशेष कार्याधिकारी को भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से, कृषि भवन नई दिल्ली

[signature]
~~स. प्रशासनिक अधिकारी~~/ प्रशासनिक अधिकारी
(आवास) (Rajaram)

सत्यापित 30/05/25
केंद्रीय सूचना, सूचना के अधिकार ...

आवास अनुभाग

भा0कृ0अ0प–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

नई दिल्ली–110012

मिसिल सं: 21–18 / 75 एच (B-17 Type VI) दिनांक 05 अगस्त,2020

ज्ञापन

श्रीमति दुर्गाशक्ति नागपाल,पूर्व ओ.एस.डी. कृषि भवन नई दिल्ली को सूचित किया जाता है कि आपको संस्थान द्वारा आवंटित आवास B-17 Type VI A को अगले तीन माह दिनांक 10..07.2020 से 10.10.2020 तक उक्त आवास को रोकने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 10.10.2020 तक या उससे पहले उक्त आवास को रिक्त कर दिया जाए, अन्यथा सार्वजनिक आवास अधिनियम 1971 के तहत बेदखली की कार्रवाई हेतु मामले को संपदा अधिकारी (N/Z) को भेज दी जाएगी। आवास रिक्त करने की तिथि तक नुकसान प्रभार शुल्क रू0 78000/– प्रतिमाह की दर से टेलिस्कोपिक पद्धति के अनुसार वसूल किया जाएगा ।

यह पत्र निदेशक,भा.कृ.अ.स. की सहमति से जारी किया जा रहा है

O/c सहा.प्रशा.अधि. (आ) 6/8/2020

श्रीमति दुर्गाशक्ति नागपाल
Deputy Secretary
D/O Commerce Ministry of Commerce & Industry Govt. of India
New Delhi

B-17 IARI Pusa campus New Delhi-12

30/05/25

-6-

स्मरण–पत्र

... अनुभाग
भा.कृ.अ.प भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली–110012

मिसिल सं0 21-18/75/H/B-17/523 दिनांक 09-09-2020 23

ज्ञापन

श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल,पूर्व ओ.एस.डी.कृषि भवन नई दिल्ली को सूचित किया जाता है कि भा.कृ.अ.सं. द्वारा आवंटित आवास संख्या B-17 Type VIA को सक्षम अधिकारी,भा.कृ.अ.सं. द्वारा तीन माह दिनांक 10-07-2020 से 10-10-2020 तक रोकने की अनुमति प्रदान की गई थी की अवधि दिनांक 10-10-2020 को समाप्त हो रही है।

अतः आपसे पूनः अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 10.10.2020 तक या उससे पहले उक्त आवास को रिक्त कर बिजली/ पानी के NO Dues के साथ अभियंता सी.पी.डब्लू.डी को जमा करा दिया जाए।

23/9/2020
सहा. प्रशासनिक अधिकारी (आ.)

श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल
Deputy Secretary
D/O Commerce Ministry of Commerce& Industry Govt. of India
New Dehi

B- 17 Type VI A Pusa Campus New Delhi-12

O/C

30/05/25
यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई

827
दिनांक / Date 27/10/20

आवास अनुभाग

भा0कृ0अ0प–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

नई दिल्ली–110012

मिसिल सं: 21–18/75 एच (B-17 Type VI) दिनांक 21 अक्तुबर ,2020

ज्ञापन

श्रीमती दुर्गाशक्ति नागपाल,पूर्व ओ.एस.डी. कृषि भवन, वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को सूचित किया जाता है कि आपको संस्थान द्वारा आवंटित आवास B-17 Type VI A को आपके डेपुटेशन अवधि जनवरी,2022 तक रोकने हेतु आपको यह Undertaking देना होगा कि उक्त आवास को जनवरी,2022 के बाद किसी भी परिस्थिति में खाली करेगें तथा किसी भी प्रकार का अस्थायी या स्थायी निमार्ण नहीं करेगें ।

अतः उपरोक्त Undertaking के आधार पर उक्त आवास आपके डेपुटेशन अवधि जनवरी, 2022 तक रोकने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त Undertaking जल्द से जल्द भेजने का कष्ट करें।

यह पत्र निदेशक,भा.कृ.अ.स. की सहमति से जारी किया जा रहा है

24/10/2020
सहा.प्रशा.अधि. (आ)

श्रीमति दुर्गाशक्ति नागपाल
Deputy Secretary & Dy CEO,IBEF
Ministy of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhwan, New Delhi-110011

30/05/25
यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है

आवास अनुभाग

भा0कृ0अ0प–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान.

नई दिल्ली–110012

मिसिल सं: 21–18/75 एच (B-17 Type VI)/909 दिनांक 10 नवम्बर ,2020

ज्ञापन

श्रीमती दुर्गाशक्ति नागपाल,पूर्व ओ.एस.डी. कृषि भवन, वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई Undertaking के आधार पर उन्हें आवंटित आवास B-17 Type VI A को उनके डेपुटेशन अवधि जनवरी,2022 तक उक्त आवंटित आवास में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा उन्हें उक्त आवास जनवरी,2022 के बाद किसी भी परिस्थिति में खाली करना होगा तथा उक्त आवास में किसी भी प्रकार का अस्थायी या स्थायी निमार्ण स्वीकार्य नहीं होगा।

यह पत्र निदेशक,भा.कृ.अ.स. की सहमति से जारी किया जा रहा है

10/11/2020

सहा.प्रशा.अधि. (आ)

श्रीमति दुर्गाशक्ति नागपाल
Deputy Secretary & Dy CEO,IBEF
Ministy of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhwan, New Delhi-110011

30/05/25

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है

भा.कृ.अ.प. – भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई 2 (भारत)
ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEA TUTE
(A DEEMED TO BE UNIVERSITY UNDER SECTION 3 6)
NEW DELHI - 110012 (INDIA)

डॉ. अशोक कुमार सिंह
निदेशक
Dr. Ashok Kumar Singh
Director

: 011-2584 2367, 2584 3375
Fax : 011-2584 6420
E-mail : director@iari.res.in
Personal : aks_gene@yahoo.com
Website : www.iari.res.in

No. 21-18/75-H
January 27, 2022

Dear Madam Durga Shakti Nagpal,

Please refer to our earlier letter dated 21.10.2020 wherein you have been allowed to stay in B-17, Type-VIA, till January 2022 based on the undertaking given by you that "I shall vacate the said house on expiry of my deputation in Central Government, which is due in January 2022 (copy enclosed)". It is learnt that you have been posted back to your cadre as Special Secretary, Medical Education, Lucknow, Govt. of UP in April 2021. You are, therefore, requested to vacate the quarter No. B-17 immediately, as there is acute shortage of residences in campus for entitled category of scientists.

Thanking you and with kind regards,

Yours sincerely,

Hari

(Ashok Kumar Singh)

Smt. Durga Shakti Nagpal
B-17, IARI Pusa Campus
New Delhi 110012.

AO (H)

28/1/2022

सत्यापित 30/05/25

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

PUSA, NEW DELHI-110012

No. 21-18/75-H/185 Dated: 11.03.2022

To

Smt. Durga Shakti Nagpal Ji
Special Secretary to Govt. of UP
Medical Education, Lucknow
U.P.

Respected Madam,

Kindly refer to the letter dated 01.02.2022, I would like to inform you that the Competent Authority has allowed to stay in B-17 till April 2022 as a special case. However, in view of the extreme shortage of residences in the campus for entitled category of scientists, it would not be possible to allow you to stay in House no. B-17 beyond April 2022 and therefore, it is again requested to kindly vacate the quarter by April end.

It is also informed that a sum of Rs 1,28,975/-(calculation sheet enclosed at Annexure I) is outstanding towards licence fee of House no. B-17 which should be deposited immediately (copy enclosed). Further, it is stated that in the event of not vacating the house by the end of April 2022, market rate of Rs 92,000/- (Ninety two thousand) from May 2022 onwards would be applicable as per rule & those charges will increase as per telescopic scheme (Copy enclosed at Annexure II).

In the light of the above, you are again requested to kindly arrange to vacate B-17 at the earliest but not later than April, 2022 end.

This issues with the approval of Director, IARI.

Thanking you with kind regards.

Yours sincerely

P Kumar

(Puspendra Kumar)
Joint Director (Administration)

सत्यापित प्रति
30/05/25

यह सूचना, सूचना के
अधिकार अधिनियम-2005
के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

y for information:

1. PS to Director, IARI, New Delhi-110012
2. PS to JD(A), IARI, New Delhi-110012
3. PS to Comptroller, IARI, New Delhi-110012
4. Guard file

Annexure - I

Damage for Unauthorized Occupation type I to Type VI GPRA, Hostel Accommodation, Servant Quarters and Garages at Delhi w.e.f. 01/07/2020

S. No.	Type	Area	L.Fee+ Water charges	Rates of Damage	Damage Normal (1st month)	Damage +10% (2nd month)	Damage +20% (3rd month)	Damage +40% (4th month)	Damage +80% (5th month)	Damage +160% (6th month)	Damage +320% (7th month)	5 Times Damage after 7 month
1	I	Up to 30	180+8	40 Times	7200	7920	8640	10080	12960	18720	30240	36000
2	II	26.5 to 50	370+12	40 Times	14800	16280	17760	20720	26640	38480	62160	74000
3	III	44 to 65	560+18	40 Times	22400	24640	26880	31360	40320	58240	94080	112000
4	IV	59 to 91.5	750+23	40 Times	30000	33000	36000	42000	54000	78000	126000	150000
5	IV (S)	59 to 91.5	750+29	50 Times	37500	41250	45000	52500	67500	97500	157500	187500
5	V-A	Up to 106	1400+29	50 Times	70, 000	77,000	84000	98000	126000	182000	294000	350000
6	V-B	Beyond to 106	1490	50 Times	74500	81950	89400	104300	134100	193700	312900	372500
7	VI-A	Up to 159.5	1840	50 Times	92000	101200	110400	128800	165600	239200	386400	460000
8	VI-B	Beyod 159.5	2200	50 Times	110000	121000	132000	154000	198000	286000	462000	550000
9	VII	189.5 to 224.5	2580	55 Times	141900	156090	170280	198660	255420	368940	595980	709500
10	VIII	243 to 522	4610	55Times	253550	278905	304260	354970	456390	659230	1064910	1267750
11	S Quarter		80	50 Times	4000	4400	4800	5600	7200	10400	16800	20000
12	Garages		50	50 Times	2500	2750	3000	3500	4500	6500	10500	12500

सत्यापित 30/05/25

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

आवक अनुभाग / Housing Section
डायरी संख्या / Diary No: 770
दिनांक / Date 01/6/2022

Reminder-1
(By hand)

आवास अनुभाग/Housing Section
भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
पूसा, नई दिल्ली-12 /Pusa, New Delhi-12

No. 21-18/75-H /377

Date: 13/05/2022

404
28.5.2022

921
1/6/22

To,

Smt. Durga Shakti Nagpal Ji
Special Secretary to Govt. of U.P.
Medical Education, Lucknow
U.P.
(IARI bungalow no. B-17, Pusa Campus)

Respected Madam,

Kindly refer to office letter dt. 11/03/2022 (copy enclosed), vide which you have been kindly permitted to retain the IARI residence no. B-17, Pusa Campus till 30/04/2022 as a special case & it was also requested to vacate the residence on or before 30/04/2022 but the residence has not been vacated till date. In this regard, I would like to inform that as per rule, market rate of Rs. 92,000/- p.m. (Rs. Ninety two thousand only) shall be applicable w.e.f. 01/05/2022 to the date of vacation of residence. Further, these charges will increase as per telescopic scheme also (copy enclosed). So, you are again requested to kindly vacate the residence within 07 (seven) days from the date of issue of this letter.

This is issued with the approval of Director, IARI.

Thanking you with kind regards.

Yours sincerely

P Kumar

(Pushpendra Kumar)
Joint Director (Administration)

Copy for information:
1. PS to Director, IARI, New Delhi-110012
2. PS to JD(A), IARI, New Delhi-110012
3. PS to Comptroller, IARI, New Delhi-110012
4. Guard file

Next Slip should be eviction procedure.

AAO(H)

JD(A)

1/6/2022

01/6/22

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।
30/05/25

Reminder-2 (By hand

ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

PUSA, NEW DELHI-110012

No. 21-18/75-H /426

Date: 02/06/2022

To,

Smt. Durga Shakti Nagpal Ji
Special Secretary to Govt. of UP
Medical Education, Lucknow
U.P.
(IARI bungalow no. B-17, Pusa Campus)

Respected Madam,

With reference to your letter dated 17.03.2022, I would like to inform you that the amount of licence fee has been compiled thoroughly and it is found that a sum of **Rs. 88,610/- (i.e. Rs. 79,320/- in r/o licence fee & Rs. 9290/- in r/o 01 no. Servant qtr. & 01 no. Garage, calculation sheet enclosed at annexure-I)** instead of **Rs. 1,28,975/-** (as written in the earlier letter dt. 11/03/2022 issued from this section) is outstanding towards licence fee of IARI residence no. B-17, which should be deposited immediately.

Further, it is stated that the permissible period of your retaining the aforesaid bungalow i.e. 30/04/2022 (as requested by you) has expired and you were intimated about the same vide the earlier reminder (copy enclosed) but the vacation report of this bungalow has not been received yet. Therefore, the market rent of Rs 92,000/- (Rs. Ninety two thousand) w.e.f. 01/05/2022 is applicable and these charges will increase as per the telescopic scheme (copy enclosed).

Therefore, in view of the above & extreme shortage of quarters in this category, you are kindly requested to vacate the IARI residence no. B-17 at the earliest but not later than 10/06/2022.

This issues with the approval of Director, IARI.

Thanking you with kind regards.

Yours sincerely

P Kumar

(Puspendra Kumar)
Joint Director (Administration)

Copy to:

1. The Principal Secretary (Medical Education), Govt. of U.P., Hazrat Ganj, Jarpath Road, Vikash Bhawan, Lucknow-226001 for information & necessary action.
2. PS to Director, IARI, New Delhi-110012 for information.
3. PS to JD(A), IARI, New Delhi-110012 for information.
4. PS to Comptroller, IARI, New Delhi-110012 for information.
5. Guard file

30/05/25

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत प्रदान की गई है।

गोपनीय

विशेष संवाहक द्वारा

सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत सम्पदा अधिकारी का कार्यालय (उत्तरी ज़ोन)

भा.कृ.अ.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
पूसा, नई दिल्ली–110012
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
Pusa, New Delhi-110012

संख्या : EO/NZ/JD(A)/Eviction/Housing दिनांक : 08.07.2022

सेवा में,

श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी
बंगला संख्या बी–17, टाईप–VI-A
पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012

1181
8/7/22

(भा.कृ.अ.सं. बंगला नं0 बी–17, पूसा कैम्पस)

महोदया जी,

नोटिस

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का बेदखल) अधिनियम, 1971 (आगे इसे अधिनियम नाम से उल्लेखित किया गया है) के तहत आदेश

जहां तक, मैंने, श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी, पूर्व ओ.एस.डी., कृषि भवन, वर्तमान में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का बेदखल) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत, आबंटित बंगला संख्या बी–17, टाईप–VI-A, पूसा परिसर पर कब्जे के मामले से संबंधित तथ्यों का संज्ञान लिया है, निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए हैं :–

30/05/25

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत प्रदान की गई है।

आधार

1. यह कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली–110012 (जिसे आगे भा.कृ.अ.सं. के नाम से संदर्भित किया गया है) स्थित बंगला संख्या बी–17, टाईप–VI-A, पूसा परिसर ज्ञापन संख्या 3–6/2014–आ. दिनांक 19.03.2015 के अनुसार श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी, पूर्व विशेष कार्याधिकारी, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय एवं वर्तमान में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश को आबंटित किया गया था।

2. यह कि उनकी नियुक्ति दिनांक 19.08.2019 को D/O-Commerce, Ministry of Commerce and Industry Govt of India, New Delhi में होने पर उक्त आवास को तीन गुणा लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिनांक 05.08.2020 के ज्ञापन संख्या 21–18/75–आ. द्वारा दिनांक 10.07.2020 से 10.10.2020 तक रहने की अनुमति प्रदान की गई थी और उन्हें यह भी सूचित कर दिया गया था कि खाली मकान का कब्जा निर्धारित समय पर सौंप दिया जाए अन्यथा उनसे दिनांक 05.08.2020 के ज्ञापन संख्या 21–18/75–आ. के अनुसार लागू होने वाला क्षति किराया व अन्य करों की भी उगाही की जाएगी।

3. इसी संदर्भ में आवास अनुभाग द्वारा दिनांक 23.09.2020 के ज्ञापन संख्या 21–18/75–आ./बी–17/523 अनुस्मारक भी भेजा गया था।

4. दिनांक 07.10.2020 को श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी द्वारा उक्त आवास को जनवरी 2022 (कार्यकाल अवधि) तक रोकने के लिए अनुरोध किया गया। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त आवास को रोकने की अनुमति प्रदान की गई थी।

5. आवास अनुभाग के दिनांक 27.01.2022 के पत्र संख्या 21–18/75–आवास द्वारा निदेशक महोदय के हस्ताक्षर से उक्त आवास को दिनांक 31.01.2022 तक या इससे पूर्व रिक्त करने के लिए पत्र लिखा गया।

6. इसके उपरांत दिनांक 01.02.2022 को श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी द्वारा उक्त आवास को अप्रैल 2022 (मातृत्व अवकाश) तक रहने का अनुरोध किया गया जिसके संदर्भ में आगे यह बताया जाता है कि आवास अनुभाग के दिनांक 11.03.2022 के पत्र संख्या 21–18/75–आ./185 द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से मानवीय आधार पर उक्त आवास में रहने की अनुमति प्रदान की गई।

7. दिनांक 30.04.2022 उक्त आवास को उनके द्वारा रिक्त न करने के बाद आवास अनुभाग के दिनांक 13.05.2022 के अनुस्मारक–1 द्वारा उक्त आवास को सात दिन के अन्दर रिक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा भेजा गया। इसके साथ ही साथ उन्हें नियमानुसार डैमेज रेट (92000/- प्रति माह के हिसाब से बढ़ती हुई दरों पर) के बारे में भी सूचित किया गया था।

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई

-15-

8. आवास अनुभाग द्वारा जारी दिनांक 02.06.2022 के अनुस्मारक–2 द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें बकाया लाइसेंस शुल्क 88,610/– के बारे में सूचित किया गया तथा इसके साथ ही साथ उक्त आवास को 10.06.2022 तक रिक्त करने के लिए भी सूचित किया गया।

9. उनसे खाली क्वार्टर का कब्जा सौंपने के लिए कहने के बावजूद भी उन्होंने खाली मकान का कब्जा नहीं सौपा और न ही निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के खाते में उपरोक्त राशि का भुगतान किया।

10. उपरोक्त आवास के बारे में श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी को दिनांक 19.03.2015 (कब्जा तिथि) से लेकर अप्रैल 2022 तक के लाइसेंस शुल्क के आधार पर गणना करने के बाद 92000/– प्रति माह के हिसाब से बढ़ती हुई दरों के विषय में सूचित किया गया।

11. दिनांक 7 जून 2022 को श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार, कृषि भवन को लिखे गए पत्र द्वारा अतिरिक्त एक साल की अवधि के लिए रहने के लिए अनुरोध किया गया था जिसको सक्षम प्राधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

चूंकि उन्होंने भा.कृ.अ.सं. प्राधिकारियों द्वारा लिखित रूप से संवाद स्थापित करने तथा परिणामस्वरूप कब्ज़ा निरस्त करने के बावजूद भी खाली नहीं किया है तो संबंधित प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम के आधार पर आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए अधोहस्ताक्षरी को यह मामला प्रेषित किया है, और इसलिए उन्हें ये नोटिस दिया जा रहा है।

अतः अब अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) के अनुसरण में **दिनांक 29 जुलाई 2022 को 10:30 बजे** कारण बताने के लिए बुलाया जाता है कि "निष्कासन आदेश क्यों न जारी किया जाए" और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) के खंड (ब) के अनुसरण में मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जो कि लिखित रूप में मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो, को कारण बताने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाले सभी सबूतों के साथ **दिनांक 29 जुलाई 2022 को 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के **कमरा नं0 3, निदेशक कार्यालय,** भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली–110012 में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आपको या आपके किसी प्रतिनिधि को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रार्थना करता हूं अन्यथा एक–पक्षीय निर्णय दे दिया जाएगा।

आदेश से

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत प्रदान की गई है।

(पुष्पेन्द्र कुमार)
संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर
दूरभाष नं0 : 011–25841393

भा.कृ.अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012
ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
(A Deemed to be University Under Section 3 of UGC Act, 1956)
NEW DELHI-110012

पुष्पेंद्र कुमार
संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं कुलसचिव
Pushpendra Kumar
Joint Director (Admn.) & Registrar

Phones : 011-2584 2390 (Off.)
E-mail : Pushpendrakumariari@gmail.com
Website : www.iari.res.in

आवास अनुभाग / Housing Section
डायरी संख्या / Diary No. 1597
दिनांक / Dated 12/10/2022

गोपनीय

विशेष संवाहक द्वारा

सार्वजनिक परिसर अधिनयम, 1971 के तहत सम्पदा अधिकारी का कार्यालय (उत्तरी ज़ोन)

दिनांक : 27.09.2022

संख्या : **EO/NZ/JD(A)/Eviction/Housing**

सेवा में,

श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी
बंगला संख्या बी–17, टाईप–VI-A
पूसा परिसर, नई दिल्ली–110012

विषय :– भा.कृ.अ.सं. बंगला नं0 बी–17, पूसा कैम्पस को रिक्त करवाने से संबंधित

महोदया जी,

जैसा कि आपको विदित है कि बंगला संख्या बी–17, टाईप–VI-A पूसा परिसर को खाली करवाने की पिछली सुनवाई अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में दिनांक 08.09.2022 को आयोजित की गई थी जिसमें आपके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। आपके प्रतिनिधि द्वारा अधोहस्ताक्षरी को एक पत्र की प्राप्ति हुई जिसमें दिनांक 30.08.2022 को सायं 8:00 बजे आपकी माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री जी से लखनऊ में हुई मौखिक वार्ता का जिक्र किया गया था जिसमें उक्त आवास को कुछ महीनों के लिए रखने की मौखिक सहमति व्यक्त की गई थी। इसी संदर्भ में आपके संज्ञान में यह लाया जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कार्यरत् अधिकारियों को आवासीय परिसर में रहने के लिए आवासों की भारी कमी होने के कारण उन्हें आवास आबंटित नहीं किया जा पा रहा है जिसे निदेशक महोदय द्वारा श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में कई बार लाया गया है। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया उक्त आवास को शीघ्रातिशीघ्र रिक्त करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

इस पत्र की एक प्रति माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री जी के निजी सचिव को मंत्री जी की मौखिक सहमति के पुष्टिकरण हेतु भी भेजी जा रही है। इसके साथ ही साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको यह सूचित किया जा रहा है कि अब उक्त आवास को रिक्त करवाने की अगली सुनवाई दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कक्ष कमरा नं0–03, निदेशक कार्यालय में होनी सुनिश्चित हुई है इसलिए महोदया जी आपसे निवेदन है कि कृपया आप या आपका कोई प्रतिनिधि उपरोक्त तिथि तथा समय पर उपस्थित हों। यदि आप या आपका कोई प्रतिनिधि इस सुनवाई में उपस्थित नहीं होंगे तो इस संबंध में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।

सधन्यवाद,

आदेश से
(पुष्पेन्द्र कुमार)
संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर
दूरभाष नं0 011–25841393

प्रति :- सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आवास अनुभाग को सूचनार्थ।

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

गोपनीय

विशेष संवाहक द्वारा

सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत सम्पदा अधिकारी का कार्यालय (उत्तरी ज़ोन)

भा.कृ.अ.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
पूसा, नई दिल्ली–110012
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
Pusa, New Delhi-110012

संख्या : EO/NZ/JD(A)/Eviction/Housing

दिनांक : 06.12.2022

सेवा में,

श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी
पूर्व ओ.एस.डी. कृषि भवन
वर्तमान में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार
चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

(भा.कृ.अ.सं. बंगला नं0 बी–17, पूसा कैम्पस)

महोदया जी,

जैसा कि आपको विदित है कि बंगला संख्या बी–17, टाईप–VI-A पूसा परिसर को खाली करवाने की कार्रवाई पिछले चार–पांच महीनों से चल रही है परन्तु अभी तक उक्त आवास खाली नहीं हुआ है। इसी संदर्भ में जो तथ्य सामने आए हैं वे इस प्रकार है :–

(1) आपने संस्थान के आवास अनुभाग द्वारा भेजे गए दिनांक 21 अक्तूबर 2020 के ज्ञापन संख्या 21-18/75H (B-17 Type VI) के उत्तर में दिनांक 5 नवम्बर 2020 के डायरी संख्या 407607/2020-O/o DS(DSN) 2 के पत्र द्वारा जनवरी 2022 तक अपना डेपुटेशन अवधि समाप्त होने तक उक्त आवास

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

-18-

को रोकने का अनुरोध किया था जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था (अनुलग्नक : 1)।

(2) इसके उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2022 के पत्र संख्या 21-18/75-H के उत्तर में आपने दिनांक 01.02.2022 के पत्र द्वारा उक्त आवास को अप्रैल–2022 तक खाली करने का आश्वासन दिया था परन्तु आपके द्वारा लिखित आश्वासनों के बावजूद आज तक भी न तो आपने आवास खाली किया और न ही आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि को संस्थान में जमा किया (अनुलग्नक : 2)।

(3) आपके द्वारा उक्त आवास को खाली करने के लिए दिनांक 30.04.2022 तक का समय मांगा गया था परन्तु उक्त अवधि तक आवास रिक्त न होने के कारण आवास अनुभाग के दिनांक 11 मार्च 2022 के पत्र संख्या 21-18/75-H के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1,28,975/– लाइसेंस फीस के भुगतान तथा उक्त आवास को अप्रैल 2022 तक रिक्त करने के लिए सूचित किया गया था (अनुलग्नक : 3)।

(4) इसके उपरांत 13.05.2022 के अनुस्मारक–1 द्वारा उक्त आवास को रिक्त न करने के बाद सात दिन के अन्दर रिक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजा गया। इसके साथ ही साथ आपको नियमानुसार डैमेज रेट के बारे में भी सूचित किया गया था। (अनुलग्नक : 4)।

(3) इसके उपरांत आवास अनुभाग द्वारा जारी दिनांक 02.06.2022 के अनुस्मारक–2 द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपको बकाया लाइसेंस शुल्क 88,610/– के बारे में भी सूचित किया गया तथा इसके साथ ही साथ उक्त आवास को 10.06.2022 तक रिक्त करने के लिए भी सूचित किया गया। आपसे खाली क्वार्टर का कब्जा सौंपने के लिए कहने के बावजूद भी उन्होंने खाली मकान का कब्जा नहीं सौपा और न ही निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के खाते में उपरोक्त राशि का भुगतान किया। उपरोक्त आवास के बारे में श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी को दिनांक 19.03.2015 (कब्जा तिथि) से लेकर अप्रैल 2022 तक के लाइसेंस शुल्क के आधार पर गणना करने के बाद 92000/– प्रति माह के हिसाब से बढ़ती हुई दरों के विषय में सूचित किया गया (अनुलग्नक : 5)।

(4) आपके द्वारा दिनांक 7 जून 2022 को श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार, कृषि भवन को लिखे गए पत्र द्वारा अतिरिक्त एक साल की अवधि के लिए रहने के लिए अनुरोध किया गया था जिसको सक्षम प्राधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत प्रदान की गई है।

(5) क्योंकि आपने भा.कृ.अ.सं. प्राधिकारियों द्वारा लिखित रूप से संवाद स्थापित करने तथा परिणामस्वरूप कब्ज़ा निरस्त करने के बावजूद भी खाली नहीं किया है तो संबंधित प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम के आधार पर आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए अधोहस्ताक्षरी को यह मामला प्रेषित किया था। अधोहस्ताक्षरी को यह मामला प्रेषित होने के बाद अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2022 को उक्त आवास को रिक्त करवाने के लिए बेदखली की कार्यवाही हेतु सूचना दी गई थी परन्तु उपरोक्त तिथि पर न तो आप और न ही आपका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ।

(6) इसके उपरांत दिनांक 29 जुलाई 2022 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा गया जिसमें आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क (4,13,660/–) के बारे में अवगत कराया गया था तथा यह भी बताया गया था कि आवासों की कमी के कारणों की भी जानकारी दी गई थी। इस पत्र में आपसे उक्त आवास को खाली करने का अनुरोध किया गया था (अनुलग्नक : 6)।

(7) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 6 सितम्बर 2022 को श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र और लिखा गया जिसमें इस मामले को मिश्रा जी को निजी तौर पर देखने के लिए कहा गया था। इसके उपरांत दिनांक 22 अगस्त 2022 के पत्र संख्या EO/NZ/JD(A)/Eviction/Housing द्वारा दिनांक 08 सितम्बर 2022 को होने वाली सुनवाई के सूचित किया गया था। दिनांक 8 सितम्बर 2022 को बेदखली की कार्यवाही में आपके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि ने भाग लिया। उनके प्रतिनिधि द्वारा अधोहस्ताक्षरी को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपके द्वारा दिनांक 30.08.2022 को सायं 8:00 बजे माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री जी से लखनऊ में मिलने के सुअवसर पर अपनी परेशानियों का जिक्र किया गया। माननीय मंत्री महोदय ने उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त आवास को कुछ महीने के लिए रखने के लिए अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। इस मौखिक सहमति का पुष्टिकरण करने के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री जी के निजी सचिव, श्री मुकेश बंसल जी को भी पत्र की प्रति भेजी गई परन्तु अभी तक भी उनसे पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हुआ है (अनुलग्नक : 7)।

(8) इसके उपरांत अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको दिनांक 27.09.2022 को उक्त आवास को रिक्त करने की अगली सुनवाई के लिए पत्र भेजा गया जो कि 20 अक्तूबर 2022 को होनी सुनिश्चित हुई थी। दिनांक 20.10.2022 को होने वाली सुनवाई में आपके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि उपस्थित हुए जिसके कार्यवृत्त

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत प्रदान की गई है।

में दोबारा से आवासों की भारी कमी के बारे में सूचित किया गया था तथा यह अनुरोध किया गया था कि उक्त आवास को प्राथमिकता के आधार पर खाली किया जाए।

(9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 11 नवम्बर 2022 को श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र पुनः लिखा गया जिसमें आपको 30 नवम्बर 2022 तक उक्त आवास को हर हाल में खाली करने के लिए कहा गया था और आपके द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए भी लिखा गया था (अनुलग्नक : 8)।

इन तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का बेदखल) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा इतना समय बीतने के बाद भी आपको उक्त आवास को रिक्त करने के लिए कई मौके दिए जा चुके हैं परन्तु आज तक भी उक्त आवास खाली नहीं हुआ है। इसलिए आपको यह सूचित किया जाता है कि अब संपदा अधिकारी द्वारा इस मामले में आगे कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। आगे आपसे यह भी निवेदन किया जाता है कि उक्त आवास को 20.12.2022 तक खाली कर दिया जाए अन्यथा संस्थान के संपदा अधिकारी के पास पी.पी.एक्ट के तहत आगे की कार्यवाही करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाएगा।

आदेश से

पुष्पेन्द्र कुमार

(पुष्पेन्द्र कुमार)
संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर
दूरभाष नं0 : 011–25841393

वितरण :–

1. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कमरा नं0 110, पहली मंजिल, लाल बहादुर शास्त्री भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ–226001 को सूचनार्थ
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आवास अनुभाग, निदेशक कार्यालय

सी.डी.ए./ 30/05/25

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

गोपनीय

स्पीड पोस्ट द्वारा

सार्वजनिक परिसर अधिनयम, 1971 के तहत सम्पदा अधिकारी का कार्यालय (उत्तरी ज़ोन)

भा.कृ.अ.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
पूसा, नई दिल्ली–110012
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
Pusa, New Delhi-110012

भा.कृ.अनुप
ICAR

संख्या : EO/NZ/JD(A)/Eviction/Housing

दिनांक : 31.01.2023

नोटिस

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का बेदखल) अधिनियम, 1971 (आगे इसे अधिनियम नाम से उल्लेखित किया गया है) के तहत आदेश

जहां तक, मैंने, श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी, पूर्व ओ.एस.डी. कृषि भवन वर्तमान में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का बेदखल) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत, आबंटित बंगला संख्या बी–17, टाईप–VI-A पूसा परिसर पर कब्जे के मामले से संबंधित तथ्यों का संज्ञान लिया है, निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए हैं:–

आधार

1. यह कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली–110012 (जिसे आगे भा.कृ.अ.सं. के नाम से संदर्भित किया गया है) स्थित क्वार्टर बंगला संख्या बी–17, टाईप–VI-A पूसा परिसर ज्ञापन संख्या 3–6/2014–आ. दिनांक 19.03.2015 के अनुसार श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी, पूर्व ओ.एस.डी. कृषि भवन वर्तमान में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को आबंटित किया गया था।

2. यह कि उनकी नियुक्ति दिनांक 19.08.2019 को D/O-Commerce, Ministry of Commerce and Industry Govt of India, New Delhi में होने पर उक्त आवास को तीन गुणा लाइसेंस शुल्क के आधार पर दिनांक 05.08.2020 के ज्ञापन संख्या 21–18/75–आ. द्वारा दिनांक 10.07.2020 से 10.10.2020 तक रहने की अनुमति प्रदान की गई थी और उन्हें यह भी सूचित कर दिया गया था कि खाली मकान का कब्जा

सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई

-22-

निर्धारित समय पर सौंप दिया जाए अन्यथा उनसे दिनांक 05.08.2020 के ज्ञापन संख्या 21–18/75–आं. के अनुसार लागू होने वाला क्षति किराया व अन्य करों की भी उगाही की जाएगी।

3. उनसे बार–बार खाली क्वार्टर का कब्ज़ा सौंपने के लिए कहने के बावजूद भी उन्होंने खाली मकान का कब्ज़ा नहीं सौंपा है।

4. यह कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 (अनधिकृत निवासियों का बेदखल) की धारा–4 की उपधारा–2 के उपखंड (i) व खंड (ii) के तहत उन्हें यह बताते हुए कि **"निष्कासन आदेश क्यों न जारी किया जाए"** एक **'कारण बताओ नोटिस'** भी जारी किया गया था और दिनांक **29 जुलाई 2022, 8 सितम्बर 2022, 20 अक्तूबर, 2022** इन्हें व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रस्तुत होने के लिए कहा गया था।

5. इसके अतिरिक्त निदेशक महोदय द्वारा भी समय–समय पर श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस बारे में पत्राचार किया गया।

6. श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी, पूर्व ओ.एस.डी. कृषि भवन वर्तमान में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा दो बार माननीय मंत्री महोदय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार, कृषि भवन के साथ मौखिक रूप से हुई चर्चा के बारे में सूचित किया गया था। इस संबंध में मंत्रालय से कोई भी निर्देश आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।

7. इसके उपरांत दिनांक 6.12.2022 के पत्र संख्या **EO/NZ/JD(A)/Eviction/Housing** के द्वारा भी आपसे अन्तिम निवेदन किया गया था कि दिनांक 22.12.2022 तक उक्त आवास को खाली कर दिया जाए परन्तु आपके द्वारा उक्त आवास खाली नहीं किया गया है।

उपर्युक्त प्रकार से की गई मामले की सुनवाई और अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेज़ों के परीक्षण के आधार पर, मेरे विचार से श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी, पूर्व ओ.एस.डी. कृषि भवन वर्तमान में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश उक्त क्वार्टर की अनाधिकृत निवासी हैं अतः उन्हें क्वार्टर खाली करके कब्ज़ा भा.कृ.अ.सं. के प्राधिकारियों को सौंप देना चाहिए।

अतः अब, सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 (अनधिकृत निवासियों का बेदखल) की धारा 5 की उप धारा (i) के अन्तर्गत, मुझे प्राप्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं यह अनुरोध करता हूं कि श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी तथा अन्य सभी व्यक्ति जो कि उक्त परिसर के किसी भी भाग में रह रहे हैं, उक्त आवास को दिनांक 22.02.2023 तक खाली कर दें। विनिर्दिष्ट समय तक इसका पालन न करने अथवा मनाही की

सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

–23–

स्थिति में श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल और अन्य संबंधित व्यक्तियों से उक्त आवास को नियमानुसार खाली करवाया जाएगा।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि भा.कृ.अ.सं. के प्राधिकारी नियम व प्रकिया के अन्तर्गत उक्त क्वार्टर पर तुरंत कब्ज़ा ले सकते हैं तथा नियम व प्रकिया के तहत लाइसेंस शुल्क सहित अन्य सभी लंबित कर, फीस/प्रभार इत्यादि वसूल कर सकते हैं।

यह भी अनुरोध किया जाता है कि लाइसेंस शुल्क की क्षति पूर्ति, सभी लंबित व लागू अन्य शुल्क या प्रभार भा.कृ.अ.सं. के प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रकिया के तहत वर्तमान दरों पर एकत्र किए जाएं।

आदेश से

(पुष्पेन्द्र कुमार)

संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर

दूरभाष नं0 : 011—25841393

प्रतिलिपि :—

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (आवास), भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली को सूचनार्थ

यह सूचना, सूचना के
अधिकार अधिनियम–2005
के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

भा.कृ.अ.प. – भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली–110012 (भारत)
ICAR - INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
(A DEEMED TO BE UNIVERSITY UNDER SECTION 3 OF UGC ACT, 1956)
NEW DELHI - 110012 (INDIA)

डॉ. अशोक कुमार सिंह, एफ.एन.ए., एफ.एन.ए.एस.सी., एफ.एन.ए.ए.एस.
निदेशक एवं कुलपति
Dr. Ashok Kumar Singh, FNA, FNASc, FNAAS
Director & Vice Chancellor

Phones : 011-2584 2367, 2584 3375
Fax : 011-2584 6420
E-mail : director@iari.res.in
Personal : aks_gene@yahoo.com
Website : www.iari.res.in

मिसिल संख्या: 21-18/75/आ./ 101
दिनांक: 10/02/2023

श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल (आई.ए.एस.),
विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ- (उत्तर प्रदेश)

विषय: आवास संख्या B-17, टाईप-VI-A के संबंध में।

महोदया,

कृप्या आपके पत्र संख्या 371(i)/वि.स./(डी.एस.एन.)/2023, दिनांक 08/02/2023 का अवलोकन करें जो कि माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार को प्रेषित था और जिसकी एक प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को भेजी गयी थी, जिसके द्वारा आपने आवास संख्या B-17, टाईप-VI-A को अगस्त-2023 तक रखने हेतु निवेदन किया है। इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके पिछले निवेदन पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र संख्या 21-18/75-H, दिनांक 11/03/2022 के माध्यम से आपको अप्रैल-2022 तक आवास संख्या B-17, टाईप-VI-A में रहने हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी एवं आपको सूचित किया गया था कि निर्धारित तिथि तक आवास ना खाली करने के पश्चात आपको रु. 92,000/- की दर से नुकसान प्रभार का भुगतान करना होगा जो कि प्रति माह टेलीस्कोपिक पद्धति से बढ़ता जाएगा। साथ ही आपको यह भी सूचित किया गया था कि आपके उपर रु. 88,610/- की राशि लाईसेंस शुल्क के तौर पर बकाया है जिसका तुरंत भुगतान किया जाना है। इस संबंध में आपको पत्र दिनांक 13/05/2022 के माध्यम से अनुस्मारक पत्र भी भेजा गया था परंतु आपकी ओर से अभी तक उक्त राशि जमा करवाने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नही हुई है। इस तरह यह राशि फरवरी माह, 2023 तक बढ़कर **रु. 26,92,210/-** तक पहुंच गयी है **(देय राशि की विस्तृत जानकारी संलग्न है)**।

आपके इस तरह अनाधिकृत रूप से उक्त आवास में रहने के कारण संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा बार-बार इस बावत प्रशन उठाए जाते है, साथ ही आपके उक्त आवास पर अनाधिकृत रूप से रहने के कारण संस्थान द्वारा व्यक्तियों से सूचना के अधिकार (R.T.I.) के तहत प्राप्त आवेदनों पर भी विभिन्न तरह की जानकारियां देनी पड़ रही है, जो कि संस्थान के लिए उचित प्रतीत नही होता है।

उक्त परिस्थितियों से यह बिलकुल भी संभव नही है कि आपको पुनः उक्त आवास को रखने के लिए अनुमति प्रदान की जा सके, अतः आपसे निवेदन है कि आप उक्त आवास को शीघ्र-अतिशीघ्र खाली करने का कष्ट करें एवं सभी प्रकार की देय राशि जो कुल **रु. 26,92,210/-** है को भी शीघ्र-अतिशीघ्र निदेशक, भा.कृ.अ.सं. के बैंक खाते में जमा करवाऐ। आवास खाली करने की सीमा समाप्त होने पर संपदा अधिकारी, भा.कृ.अ.प. द्वारा जारी आदेशों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित है।

उंपरोक्त कार्यवाही से आपको हो रही असुविधा के लिए संस्थान को खेद है।

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह)

O/C

प्रतिलिपि:

1. माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार के निजी सचिव, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
3. संपदा अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को अग्रिम कार्यवाही हेतू एवं सादर सूचनार्थ।

30/05/25

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

Details of pending amount of L. fees & demurrage charges in r/o Smt. Durga Shakti Nagpal, I.A.S. (B-17, Type-VI-1)

S. No.	Period	Amount
1.	Due amount of pending licence fees upto 30/04/2022	Rs. 88610/-
2.	Demmurage charges for the month of May-2022	Rs. 92000/-
3.	Demmurage charges for the month of June-2022	Rs. 101200/-
4.	Demmurage charges for the month of July-2022	Rs. 110400/-
5.	Demmurage charges for the month of August-2022	Rs. 128800/-
6.	Demmurage charges for the month of Sept.-2022	Rs. 165600/-
7.	Demmurage charges for the month of Oct.-2022	Rs. 239200/-
8.	Demmurage charges for the month of Nov.-2022	Rs. 386400/-
9.	Demmurage charges for the month of Dec.-2022	Rs. 460000/-
10.	Demmurage charges for the month of Jan.-2023	Rs. 460000/-
11.	Demmurage charges for the month of Feb.-2023	Rs. 460000/-
	Total amount till 28/02/2023	**Rs. 26,92,210/-**

Sr. Admn. Officer (H)

30/05/25

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION
(Under Ministry of Agriculture & Farmer welfare, Govt. of India)
सार्वजनिक परिसर अधिनयम, 1971 के तहत सम्पदा अधिकारी का कार्यालय (उत्तरी ज़ोन)
Office Address - Room No. 03, Director Office ICAR-Indian Agricultural Research Insitiute,
Pusa Campus New Delhi - 110012

गोपनीय (विशेष संवाहक द्वारा)

संख्या: EO/NZ/Eviction /2024 दिनांक: 09.10.2024

अधिसूचना

सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 (जिसे आगे उक्त अधिनियम के नाम से संदर्भित किया गया है) की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ii) और उपधारा (i) के तहत नोटिस

अधोहस्ताक्षरी की राय में आप नीचे वर्णित आधारों पर अधिसूचित सार्वजनिक परिसर पर अधिकृत कब्जे के अधिकारी नहीं हैं और आपको उक्त परिसर को खाली कर देना चाहिए।

<u>आधार</u>

1. यह कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012 (जिसे आगे भा.कृ.अ.सं. के नाम से संदर्भित किया गया है) स्थित आवास संख्या B-17, टाईप-VI-A पूसा परिसर , श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल पूर्व OSD , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार व जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और कलेक्टर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश को आबंटित किया गया था।

2. यह कि इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के प्राधिकारियों द्वारा समय समय उपरोक्त आवास को खाली करने के सम्बन्ध में कई बार श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल से पत्राचार किया गया।

3. संस्थान द्वारा सूचित किया गया कि आज दिनांक तक उपरोक्त आवास खाली नहीं किया गया हैं तथा दिनांक 30.09.2024 तक 1,35,46,160/- रुपये की राशि बकाया है और यह भी सूचित किया गया है कि श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार या कोई भी राशि जमा नहीं की गयी है।

4. संस्थान द्वारा यह भी सूचित किया गया कि श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल से खाली आवास का कब्ज़ा सौंपने के लिए कहने के बावजूद भी उन्होंने खाली मकान का कब्ज़ा नहीं सौंपा है।

5. चूंकि उन्होंने उक्त आवास निर्धारित तिथि तक खाली नहीं किया है तो संबंधित प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम में विहित मानदंडों के आधार पर उक्त क्वार्टर पर कब्ज़ा बनाए रखने के लिए अनधिकृत करार किए जाने हेतु यह मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को संदर्भित किया है।

अतः अब अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) के अनुसरण में दिनांक 22.10.2024 **को 11:00** बजे कारण बताने के लिए बुलाया जाता है कि ''निष्कासन आदेश क्यों न जारी किया जाए'' और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) के खंड (ब) के अनुसरण में मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जो कि लिखित रूप में मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो, को कारण बताने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाले सभी सबूतों/प्रमाणों के साथ दिनांक 22.10.2024 को 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कमरा नं0 03, निदेशक कार्यालय, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत प्रदान की गई है।

आदेशित करता हूं अन्यथा एक-पक्षीय निर्णय दे दिया जाएगा।

आदेश से

(अजय कुमार सोनी)
संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर
दूरभाष नं0: 011-25841393

श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल
जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और कलेक्टर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश
व पूर्व OSD, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास), भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली को दिनांक 19/09/2024 के पत्र संख्या 21-18/75/H/861 0 के संदर्भ में, इस अनुरोध के साथ कि इस नोटिस की एक प्रति को आवास संख्या आंवास संख्या B-17, टाईप-VI-A पूसा परिसर के दरवाजे पर किसी मुख्य स्थान पर लगा दिया जाए।

(अजय कुमार सोनी)
संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर
दूरभाष नं0: 011-25841393

यह सूचना, सूचना के
अधिकार अधिनियम-2005
के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION
(Under Ministry of Agriculture & Farmer welfare, Govt. of India)
सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत सम्पदा अधिकारी का कार्यालय (उत्तरी ज़ोन)
Office Address - Room No. 03, Director Office, ICAR-Indian Agricultural Research Insitute,
Pusa Campus New Delhi - 110012

संख्या: EO/NZ/Eviction/2024

दिनांक: 29.11.2024

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (जिसे आगे उक्त अधिनियम के नाम से संदर्भित किया गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) और खंड (ख) (ii) के अंतर्गत नोटिस

अधोहस्ताक्षरी की राय में आप नीचे वर्णित आधारों पर अधिसूचित सार्वजनिक परिसर पर अधिकृत कब्जे के अधिकारी नहीं हैं और आपको उक्त परिसर को खाली कर देना चाहिए।

आधार

1. यह कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012 (जिसे आगे भा.कृ.अ.सं. के नाम से संदर्भित किया गया है) स्थित आवास संख्या B-17, टाईप-VI-A पूसा परिसर , श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल पूर्व OSD , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार व जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और कलेक्टर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश को आबंटित किया गया था।

2. यह कि इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के प्राधिकारियों द्वारा समय समय उपरोक्त आवास को खाली करने के सम्बन्ध में कई बार श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल से पत्राचार किया गया परन्तु संस्थान द्वारा सूचित किया गया कि आज दिनांक तक उपरोक्त आवास खाली नहीं किया गया हैं तथा दिनांक 30.09.2024 तक 1,35,46,160/- रुपये की राशि बकाया है और यह भी सूचित किया गया है कि श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार या कोई भी राशि जमा नहीं की गयी है।

3. उनसे खाली आवास का कब्ज़ा सौंपने के लिए कहने के बावजूद भी उन्होंने खाली मकान का कब्ज़ा नहीं सौंपा है।

4. इस सम्बन्ध मे अपीलीय पक्ष भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली व पूर्व सम्पदा अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही व पत्राचार का पूर्ण विवरण (अनुलग्नक-1) संलग्न है। अधोहस्ताक्षरी की राय में अपीलीय पक्ष द्वारा आपको अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है परन्तु आपके द्वारा संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

5. चूंकि उन्होंने उक्त आवास निर्धारित तिथि तक खाली नहीं किया है तो संबंधित प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम में विहित मानदंडों के आधार पर उक्त क्वार्टर पर कब्ज़ा बनाए रखने के लिए अनधिकृत करार किए जाने हेतु यह मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को संदर्भित किया गया है।

6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में भी आपको इस सम्बन्ध में नोटिस क्र. EO/NZ/Eviction/2024 दिनांक 09.10.2024 प्रेषित किया गया था।

अतः अब अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) के अनुसरण में दिनांक 13.12.2024 को 11:45 बजे कारण बताने के लिए <u>अंतिम अवसर प्रदान</u> करते हुए बुलाया जाता है कि ''निष्कासन आदेश क्यों न जारी किया जाए'' और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) के खंड (ख) के अनुसरण में मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जो कि लिखित रूप में मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो, को कारण बताने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाले सभी

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत प्रदान की गई है।

Estate Officer North Zone ICAR Govt. of India New Delhi

-29-

सबूतों/प्रमाणों के साथ दिनांक 13.12.2024 को 11:45 बजे अधोहस्ताक्षरी के कमरा नं0 03, निदेशक कार्यालय, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेशित करता हूं अन्यथा एक-पक्षीय निर्णय दे दिया जाएगा।

आदेश से

29/11/2024

(अजय कुमार सोनी)

संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर

दूरभाष नं0: 011-25841393

Deptt. of Agril. Research & Education
Estate Officer
North Zone
ICAR
Govt. of India New Delhi

संपदा अधिकारी (उत्तरी क्षेत्र)
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल, आई.ए.एस.

जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और कलेक्टर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश

व पूर्व OSD, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कमरा न. 110, पहली मंजिल लाल बहादुर शास्त्री, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ – 226001 को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव (DARE) व सचिव, ICAR को सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, निदेशक / श्री राजीव लाल, संयुक्त निदेशक(प्रशासन), भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (आवास)/सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास), भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली को दिनांक 19/09/2024 के पत्र संख्या 21-18/75/H/861 के संदर्भ में, इस अनुरोध के साथ कि इस नोटिस की एक प्रति पर श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल, IAS या उनके प्रतिनिधि, आवास संख्या B-17, टाईप-VI-A पूसा परिसर से पावती प्राप्त करें अन्यथा B-17, टाईप-VI-A के दरवाजे पर किसी मुख्य स्थान पर लगा दिया जाए व दिनांक 13.12.2024 को 11:45 बजे संबंधित प्रपत्रों के साथ उपस्थित रहे।

29/11/2024

(अजय कुमार सोनी)

संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर

दूरभाष नं0: 011-25841393

संपदा अधिकारी (उत्तरी क्षेत्र)
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

अनुलग्नक -01

ACTION TAKEN BY THE INSTITUTE TOWARDS VACATION OF BUNGLOW NO. B-17, TYPE -VI

1. Smt. Durga Shakti Nagpal, presently District Magistrate Lakhimpur Kheri to the Government of Uttar Pradesh, was allotted Bungalow No. B-17, Type-VI, (on the basis of payment of 3 times of normal rate of license fee) while she was working in the capacity of officer on special Duty (OSD), Ministry of Agriculture and farmers' Welfare, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, vide Memorandum No.3-6/2014-H dated 19.03.2015.
2. Smt. Nagpal was allotted the Bungalow on the recommendation of the then Agriculture Minister.
3. Since, Smt. Nagpal was allotted the Bungalow when she was working in the capacity of (OSD) to the then Agricultural Minister. However, it was learnt that she had been working in the Department of Commerce, Ministry of Commerce and industry, Government of India, New Delhi w.e.f. 19.08.2019 after her transfer from Ministry of Agriculture and farmers' Welfare though there was no official communication received in this regard and she did not vacate the Bungalow.
4. Then, Smt. Nagpal was given a three months' notice, vide Memorandum No.21-18/75-H (B-17, TYPE-VI), dated 05.08.2020, whereby she was given permission to stay up to 10.10.2020 on the payment of normal rate (which is 3 times of the applicable license fee in her case) and vacate the bungalow on or before 10.10.2020, otherwise demurrage charges as per rule would be levied upon.
5. Then, a reminder No.21-18/75-H/B-17/523, Dated 23.09.2020 was sent, whereby Smt. Nagpal was requested to vacate the Bungalow on or before 10.10.2020 and handover the same to CPWD, Pusa campus, New Delhi.
6. A request dated 07.10.2020 was received from Smt. Nagpal, wherein she had requested to stay in the Bungalow till the expiry of her tenure in the Department of Commerce, i.e. upto January'2022.
7. However, vide Memorandum No.21-18/75-H/B-17, dated 21.10.2020, Smt. Nagpal was informed for submitting an undertaking that she would anyhow vacate the Bungalow by January'2022.
8. As per her letter dated 05.11.2020, Smt. Nagpal had submitted an undertaking that she would vacate the Bungalow by January'2022, i.e. with the expiry of her tenure.
9. Again, a Memorandum No. 21-18/75-H/B-17/909, dated 10.11.2020 was served to her, whereby Smt. Nagpal was permitted by the Director, IARI to stay in the said Bungalow till January'2022 and it was also informed that in no circumstances she would be allowed to stay in the Bungalow beyond January'2022.
10. As the permitted time period was approaching, Smt. Nagpal was served a communication No.21-18/75-H, dated 27.01.2022, under the signature of Director, IARI, whereby she was again requested to vacate the Bungalow, keeping in view the fact that there been acute shortage of residences in campus for entitled category of scientists.
11. In response to this, her letter dated 01.02.2022 was received, requesting to retain the Bungalow till April'2022 end, stating her being on maternity leave till the said April'2022.
12. Keeping in view her request, Smt. Nagpal was permitted by the Competent Authority to retain the Bungalow till 30.04.2022 on Humanitarian grounds, vide Letter No.21-18/75-H/185, dated 11.03.2022.

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत प्रदान की गई है।

संपदा अधिकारी (उत्तरी क्षेत्र)
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

13. Through this letter, it was also stated that in the event of her not vacating the Bungalow on or before 30.04.2022, market rate @92000/- (Rs. Ninety-two thousand only) would be charged, which is subject to increase as per Telescopic scheme till the vacation of the residence.
14. As the deadline of vacating the Bungalow i.e. 30.04.2022 was also passed, Smt. Nagpal was served a reminder 21-18/75-H/B-17/377, dated 13.05.2022, requesting her to vacate the Bungalow within 07(seven) days from the date of issue of the letter, with the remarks of Director, IARI that. "Next step should be eviction procedure"
15. The Bungalow was not vacated by her in the stipulated/permitted time, then Smt. Nagpal was again served a Reminder-2 bearing No. 21-18/75-H/B-17/426, dated 02.06.2022, requesting her to vacate the Bungalow at the earliest but not later than 10.06.2022.
16. A letter dated 07.06.2022 addressed to sh. Narendra Singh Tomar, the then Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, and copy thereof marked to Director, IARI was received, wherein Smt. Nagpal had written for retaining the Bungalow for another one year.
17. Through this letter, Smt. Nagpal was also communicated to deposit the outstanding dues of Rs.88, 610/- (Rs. Eighty-eight thousand six hundred ten only) towards short payment of license fee including 01 no. garage and 01 no. servant quarter available in the Bungalow. But nothing has been deposited by her till date.
18. Then, the eviction process for vacating the Bungalow no B-17, Type-VI was initiated communicating Smt. Nagpal vide Notice No. EO/NZ/JD(A)/Eviction/Housing, dated 08.07.2022 and the date of hearing of the case was fixed to be 29.07.2022 but neither she nor any of her representative had appeared.
19. Then, a letter No. Dir/PS/2022, dated 29.07.2022 was sent to the **Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh**, under the signature of Director, IARI, describing the whole case with the request to direct Smt. Nagpal to vacate the Bungalow.
20. Another letter no. Dir/PS/2022, dated 06.09.2022 was sent to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, by the Director IARI whereby he was requested to ask Smt. Nagpal to vacate the Bungalow.
21. A hearing of the eviction case was held on 20.10.2022, in which a representative of Smt. Nagpal had appeared and submitted a letter sent to the then Agriculture Minister, Written by Smt. Nagpal regarding retention of the Bungalow.
22. Another letter No. Dir/PS/2022 dated 11.11.2022, under the signature of Director, IARI was sent to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, requesting to intervene in the matter so that the Bungalow No. B-17 could be got vacated.
23. Smt. Nagpal was sent a communication No. EO/NZ/JD(A)/Eviction/Housing, dated 06.12.2022 by the Estate officer, informing Smt. Nagpal to vacate the Bungalow by 20.12.2022, else further process of eviction would be initiated under public premises Act,1971.
24. Even after passing of the given time, Smt. Nagpal did not vacate the Bungalow and therefore, again a letter No. EO/NZ/JD(A)/Eviction/Housing, dated 31.01.2023 was sent to her, informing to vacate the Bungalow and deposit the outstanding dues in IARI treasury, otherwise further necessary action would be initiated towards eviction process.

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

संपदा ...कारी (उत्तरी क्षेत्र) कृषि अ... एवं शिक्षा विभाग कृषि और ... कल्याण मंत्रालय भारत ...कार

25. Then, a copy of a letter dated 08.02.2023 was received from Smt. Nagpal which was addressed to the Minister of Agriculture and Farmers' Welfare, wherein she had mentioned of her family problems due to which she was unable to vacate the Bungalow and had sought permission for staying up to August'2023. However, no direction/any sort of communication was received from the office of MoA&FW in this regard.
26. In response to this, a letter dated 10.02.2023, under the signature of Director, IARI was sent to Smt. Nagpal, informing that under no circumstances she could be granted permission to stay in the said Bungalow, as already there was acute shortage of residences to be allotted to the eligible scientist to IARI. Through this letter, she was also informed of the outstanding dues against her towards license fee and demurrage charges accumulated up to February'2023.
27. Till 30.09.2024, Smt. Nagpal has not deposited a single penny against the dues of Rs.1,35,46,160/- (Rs. One crore thirty-five lac forty-six thousand one hundred sixty only).

संपदा अधिकारी (उत्तरी क्षेत्र)
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

यह सूचना, सूचना के
अधिकार अधिनियम--2005
के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(Under Ministry of Agriculture & Farmer welfare, Govt. of India)

सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत सम्पदा अधिकारी का कार्यालय (उत्तरी ज़ोन)

Office Address - Room No. 03, Director Office, ICAR-Indian Agricultural Research Insitiute, Pusa Campus New Delhi - 110012

संख्या: EO/NZ/Eviction/2024 दिनांक: 13.12.2024

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (जिसे आगे उक्त अधिनियम के नाम से संदर्भित किया गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) और खंड (ख) (ii) के अंतर्गत नोटिस

अधोहस्ताक्षरी की राय में आप नीचे वर्णित आधारों पर अधिसूचित सार्वजनिक परिसर पर अधिकृत कब्जे के अधिकारी नहीं हैं और आपको उक्त परिसर को खाली कर देना चाहिए।

आधार

1. यह कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012 (जिसे आगे भा.कृ.अ.सं. के नाम से संदर्भित किया गया है) स्थित आवास संख्या B-17, टाईप-VI-A पूसा परिसर , श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल पूर्व OSD , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार व जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और कलेक्टर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश को आबंटित किया गया था।

2. यह कि इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के प्राधिकारियों द्वारा समय समय उपरोक्त आवास को खाली करने के सम्बन्ध में कई बार श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल से पत्राचार किया गया परन्तु संस्थान द्वारा सूचित किया गया कि आज दिनांक तक उपरोक्त आवास खाली नहीं किया गया हैं तथा दिनांक 31.12.2024 तक 1,52,86,160/- रुपये की राशि बकाया है और यह भी सूचित किया गया है कि श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार या कोई भी राशि जमा नहीं की गयी है।

3. उनसे खाली आवास का कब्ज़ा सौंपने के लिए कहने के बावजूद भी उन्होंने खाली मकान का कब्ज़ा नहीं सौंपा है।

4. इस सम्बन्ध मे अपीलीय पक्ष भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली व पूर्व सम्पदा अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही व पत्राचार का पूर्ण विवरण (अनुलग्नक-1) संलग्न है। अधोहस्ताक्षरी की राय में अपीलीय पक्ष द्वारा आपको अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है परन्तु आपके द्वारा संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

5. चूंकि उन्होंने उक्त आवास निर्धारित तिथि तक खाली नहीं किया है तो संबंधित प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम में विहित मानदंडों के आधार पर उक्त क्वार्टर पर कब्ज़ा बनाए रखने के लिए अनधिकृत करार किए जाने हेतु यह मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को संदर्भित किया गया है।

6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में भी आपको इस सम्बन्ध में नोटिस क्र. EO/NZ/Eviction/2024 दिनांक 09.10.2024 व नोटिस क्र. EO/NZ/Eviction/2024 दिनांक 29.11.2024 प्रेषित किया गया था।

अतः अब अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) के अनुसरण में दिनांक **23.12.2024 को 11:00 बजे** कारण बताने के लिए <u>अंतिम अवसर प्रदान</u> करते हुए बुलाया जाता है कि ''निष्कासन आदेश क्यों न जारी किया जाए'' और उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (i) के खंड (ख) के अनुसरण में मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जो कि लिखित रूप में मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हो, को कारण बताने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाले सभी

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

सबूतों/प्रमाणों के साथ दिनांक **23.12.2024 को 11:00 बजे** अधोहस्ताक्षरी के कमरा नं0 03, निदेशक कार्यालय, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली-110012 में व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेशित करता हूं अन्यथा एक-पक्षीय निर्णय दे दिया जाएगा।

आदेश से

(अजय कुमार सोनी)

संपदा अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मोहर

दूरभाष नं0: 011-25841393

संपदा अधिकारी (आवास एवं सं)
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल, आई.ए.एस.

जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और कलेक्टर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश

व पूर्व OSD, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कमरा न. 110, पहली मंजिल लाल बहादुर शास्त्री, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ – 226001 को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव (DARE) व सचिव, ICAR को सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, निदेशक / श्री राजीव लाल, संयुक्त निदेशक(प्रशासन), भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (आवास)/सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास), भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली को दिनांक 19/09/2024 के पत्र संख्या 21-18/75/H/861 के संदर्भ में, इस अनुरोध के साथ कि इस नोटिस की एक प्रति पर श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल, IAS या उनके प्रतिनिधि, आवास संख्या B-17, टाईप-VI-A पूसा परिसर से पावती प्राप्त करें अन्यथा B-17, टाईप-VI-A के दरवाजे पर किसी मुख्य स्थान पर लगा दिया जाए व दिनांक **23.12.2024 को 11:00 बजे** संबंधित प्रपत्रों के साथ उपस्थित रहे।

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

भा.कृ.अ.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली–110012
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
New Delhi-110012
Website – www.iari.res.in Email – director@icar.res.in Phone – 011-25843375

No. 21-18/75/H/1509 Dated: Feb.06, 2025

The Deputy Commissioner of Police
(District West)
Office of the DCP
Janak Puri
New Delhi

Sub: **Request for Police assistance and protection for taking over the government accommodation from an unauthorized occupant.**

Sir,

I am to inform you that in terms of provision of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1972, the Estate Officer, Department of Agriculture Research & Education (DARE), Ministry of Agriculture & Farmer's Welfare, Govt. of India has directed to get the Bungalow No. B-17, Type-VI, Pusa Campus, New Delhi vacated from Smt. Durga Shakti Nagpal, IAS presently serving as District Magistrate(DM) and Collector, Lakhimpur Kheri, UP and all other persons, concerned are liable to be evicted from the said premises, by using such force as may be necessary, as she/they are occupying the above said Bungalow unauthorized. A copy of the order No. EO/NZ/Eviction/2024 dated 27.12.2024 is enclosed herewith for your kind reference.

The time limit for vacation of aforesaid Government Bungalow being January 12, 2025 is already over. IARI, New Delhi intend to get the aforesaid Bungalow vacated from Smt. Nagpal and any other person(s) staying there un-authorized on **Thursday, the February 13th, 2025 at 11 A.M.** Shri. Veerpal Singh, Security in charge of this Institute will assist in completing the process. It is therefore requested to please provide necessary **Police force** to take the possession of the aforesaid Bungalow as per above schedule.

Yours Faithfully,

Joint Director (Admn.)

Copy for information and necessary action to: -

1. Smt. Durga Shakti Nagpal, IAS, District Magistrate (DM) and Collector, Lakhimpur Kheri, UP - With the humble request to remove all your belongings from the aforesaid Bungalow **by the night of February 12, 2025 (Wednesday) positively.** In case belonging are not removed from the Bungalow and its premises, the Institute will have no responsibility whatsoever for any loss or damage of your belongings.
2. Estate Officer, DARE, New Delhi
3. Asstt. Commissioner of Police, Naraina, New Delhi
4. S.H.O., Inder Puri Police Station, New Delhi
5. PS to Director, IARI / PS to JD(Admn), IARI for kind information
6. Sh. Veer Pal, Security in charge- Please pursue the matter with the Police Authority.
7. Sh. Laxman Singh, S.A.O., to liaise with the Police and arrange videography of the action.

सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

भा.कृ.अ.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली–110012
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
New Delhi-110012

Website – www.iari.res.in Email – director@icar.res.in Phone – 011-25843375

No. 21-18/75/H/ 1547 Dated: Feb. 27, 2025

To,

Smt. Durga Shakti Nagpal, IAS,
District Magistrate & Collector,
Lakhimpur Kheri,
Uttar Pradesh-262701

Sub: Handing over of Bungalow No. B-17 (Type-VI-A), IARI, Pusa Campus, New Delhi-110012

Madam,

This is with reference to your e-mail dated 13.02.2025 informing that the Bungalow # B-17, ICAR-IARI, Pusa Campus, New Delhi-110012 will be vacated by you on 01.03.2025. In this regard it is requested that the keys of the Bungalow, servant quarter and garage attached with the Bungalow may be handed over to the Maintenance & Engineering Unit (MEU), ICAR-IARI, Pusa Campus, New Delhi on 01.03.2025 **along with** No dues certificates from the TPDDL towards electricity charges and the Delhi Jal Board (DJB) towards Water Charges. **Please note that only after handing over of keys of Bungalow No. B-17 to the Authority concerned along with No Dues Certificates from TPDDL and Delhi Jal Board, the Bungalow will be considered as vacated.**

Further, it is stated that there is no provision for waiving off damage charges as per extant House Allotment Rules. As per Rule-63 contained in Part XI of GPRA, 2017, damage charges are payable after the allotment has been cancelled or is deemed to have been cancelled, but the accommodation remains in occupation of the allottee. An allotment of aforesaid Bungalow was deemed to have been cancelled in your name with effect from 01.05.2022 as communicated vide letter no. 21-18/75-H/377 dated 13.05.2022. Accordingly, the amount of damages for un-authorized occupation of Bungalow No. B-17 by you have been calculated till the month of February, 2025 and it comes to **Rs. 1,64,46,160/- (Rupees One Crore Sixty-Four Lakhs Forty-Six Thousand One Hundred and Sixty only)**. Calculation sheet is annexed herewith for your ready reference. It is further informed that the amount of damages for un-authorized occupation will be payable by you till the actual date of vacation of Flat. Therefore, the balance amount calculated till the date of actual vacation of Flat will be informed later on.

Hence, you are requested to deposit the amount of damages for un-authorized occupation in the Bank A/c of ICAR-IARI immediately and provide the transaction details to this office. The details of Bank A/c of ICAR-IARI is as folllows:

1. Name of the Account Holder	- Director, ICAR-IARI
2. A/c Number	- 90293050000017
3. Name of the Bank	- Canara Bank
4. Address	- Canara Bank, IARI, Pusa Campus
5. IFSC Code	- CNRB0019029

Your Sincerely,

27/2/2025
(Senior Admn. Officer)

Copy to:

1. In-charge, Maintenance & Engineering Unit, opposite Director's Office, ICAR-IARI, Pusa Campus, New Delhi, with the request to take over the possession of Bungalow No. B-17 (Type-VI-A) after ascertaining the condition of the Bungalow along with No Dues from TPDDL and Delhi Jal Board.
2. Sh. Vijay Kumar, Special Secretary to Government of Uttar Pradesh for kind information.

सत्यापित
यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

अनुरक्षण एवं अभियांत्रिकी इकाई
MAINTENANCE & ENGINEERING UNIT
भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
नई दिल्ली-१२
NEW DELHI-12.

सरकारी आवास कब्जा करने की/छोड़ने की रिपोर्ट
Vacation Report of Government Residence

11. पंजीकृत संख्या/ Registration No. : N/A
12. आवास का विवरण/ Particulars of Accommodation :
    (vii) इलाका कोड/ Locality code: B Type
    यदि कोड की जानकरी न हो तो एलके का नाम लिखे/ mention Locality name if code in not known
    (viii) टाइप/ Type: V B
    (ix) क्वार्टर न/ Quarter No. : B-17 (iv) तल/ Floor : GF
13. सज्जित या असज्जित / Furnished or unfurnished : ________
14. कब्जा करने/ छोड़ने की तारीख/ Date of Occupation/ Vacation : 28/02/2025
    (पूर्बा/ F.N.) (अपरा/ A.N.) (समय/ Time) : 03:00 PM
15. आवास के ब्योरा (उनकी संख्या भी लिखे)/ Accommodation Details (also indicate their number)
    (iii) मुख्य ग्रह/ Main House...5. (ii) नोकर ग्रह/ Servant Quarters...1. (iii) गेरेज/ Garrage...1...
16. फरनीचर आदि उपकरणों के साथ दी गई वस्तुओ टिकाउ ओर गेर टिकाउ के अलग अलग ब्योरे
    Details of article (durable and nondurable Separately supplied with furniture etc. appliance
17. जुड़नारोमे यदि कोई कमी या खराबी हो तो उसका ब्योरा
    Details of shortcoming or defects in fittings, if any.......NO!—
18. आवंटित का नाम और पद नाम (बड़े अक्षरो मे)
    Name & Desg. Of allotee (in capital letters) : Ms. Durga Shakti Nagpal
19. कार्यालय जिसमे संबंध है/ Office to which attached : DM, Lakhimpur Kheri, UP
20. Mob. No. : 8447863612

[signature] 28.02.25

(Signature of In-Charge of Enquiry office)

[signature]

आबनटीत के हस्ताक्षर
(Signature of allottee)

[signature] 20/05/25
यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत प्रदान की गई है।

[signature] 12/5/25

SPEED POST

भा.कृ.अ.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली–110012
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
New Delhi-110012

Website – www.iari.res.in Email – director@icar.res.in Phone – 011-25843375

No. 21-18/75/H/ 1595 Dated: March 21, 2025

Smt. Durga Shakti Nagpal,
District Magistrate & Collector,
Lakhimpur Kheri,
Uttar Pradesh-262701

Sub: Payment of pending dues & damage charges in r/o Bungalow No. B-17 (Type-VI-A), IARI, Pusa Campus, New Delhi

Madam,

Please refer to your e-mail dated 03.03.2025 intimating about the vacation of Bungalow # B-17, Pusa Campus, New Delhi and further requesting for waiving off Damage Charges levied for retaining the aforesaid bungalow unauthorised beyond April, 2022. Your request for waiving off Damage Charges was considered by the Director, IARI but it could not be acceded to as there is no provision for waiving off such charges as per House Allotment Rules.

In total, a sum of Rs. **1,64,46,160/- (Rupees One Crore Sixty-Four Lakhs Forty-Six Thousand One Hundred and Sixty only) has to be deposited by you towards Outstanding License fees and Damage charges as mentioned below.** The details of month wise pending dues in tabular form is also annexed herewith for your ready reference.

1. Outstanding License Fee from May 2015 to April 2022 - Rs. 88,610/-
2. Damage charges w.e.f. May, 2022 to February, 2025 -Rs.1,63,57,550/-

You are, therefore requested to deposit the pending dues and Damage charges amounting to Rs. 1,64,46,160/-in the bank account of the ICAR-IARI, New Delhi at the earliest possible and intimate to this office accordingly with details of transaction I.D.

The details of Bank A/c of the, ICAR-IARI, New Delhi is as follows:

1. Name of the Account Holder	- ICAR-IARI
2. A/c Number	- 90293050000017
3. Name of the Bank	- Canara Bank
4. Address	- Canara Bank, IARI, Pusa Campus
5. IFSC Code	- CNRB0019029

Your Sincerely,

(Senior Admn. Officer)

Copy to:

1. Sh. Vijay Kumar, Special Secretary to Government of Uttar Pradesh, Appointment & Personnel Department, Lal Bahadur Shastri Bhawan, Annexe Building, Sarojini Naidu Marg, Lucknow, Uttar Pradesh-226001, for information.

सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

HOUSING SECTION

ICAR-INDIAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE

NEW DELHI-110012

Calculation sheet in respect of Smt. Durga Shakti Nagpal, IARI Bungalow No. B-17, Type-VI/A, Pusa Campus, New Delhi-110012

S.N.	Period	Amount deposited in IARI treasury (per month)	License fee payable (per month)	Fee payable towards 01 no. Servant Quarter (p.m.)	Fee payable towards 01 no. Garage (p.m.)	Total Outstanding dues	Remarks
1	May'2015 to Dec'2015	3300	3915	60	35	-5680	Short payment of License fee @ 615 p.m. + @ 60 p.m. Servant quarters + @ 35 p.m. garage
2	January'2016	8835	3915	60	35	4825	Paid 4920/- surplus towards license fee and short payment (@ 60 p.m. Servant quarters + @ 35 p.m. garage)
3	Feb'2016 to June'2017	3915	3915	60	35	-1615	Short payment (@ 60 p.m. Servant quarters + @ 35 p.m. garage)
4	July'2017	3915	4680	70	40	-875	Short payment of license fee @765 and (@ 70 p.m. Servant quarters + @ 40 p.m. garage)
5	August'2017	5445	4680	70	40	655	Paid 765/- surplus towards license fee and short payment (@ 70 p.m. Servant quarters + @ 40 p.m. garage)
6	Sep'2017 to Jun'2020	4680	4680	70	40	-3740	Short payment (@ 70 p.m. Servant quarters + @ 40 p.m. garage)
7	Jul'2020 to Mar'2021	4680	5520	80	50	-8730	Short payment (@ 80 p.m. Servant quarters + @ 50 p.m. garage)
8	Apr'2021 to Apr'2022	0	5520	80	50	-73450	Nothing paid

Page-1 of 2

यह सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

9	May'2022		0	92000	4000	2500	-98500	Demurrage charges in case of unauthorized occupation w.e.f. May'2022
10	June'2022		0	101200	4400	2750	-108350	--do--
11	July'2022		0	110400	4800	3000	-118200	--do--
12	August'2022		0	128800	5600	3500	-137900	--do--
13	September'2022		0	165600	7200	4500	-177300	--do--
14	October'2022		0	239200	10400	6500	-256100	--do--
15	November'2022		0	386400	16800	10500	-413700	--do--
16	December'2022		0	460000	20000	12500	-492500	--do--
17	January'2023		0	460000	20000	12500	-492500	--do--
18	February'2023		0	460000	20000	12500	-492500	--do--
19	March'2023		0	460000	20000	12500	-492500	--do--
20	April'2023		0	460000	20000	12500	-492500	--do--
21	May'2023		0	460000	20000	12500	-492500	--do--
22	June'2023		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
23	July'2023		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
24	August'2023		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
25	September'2023		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
26	October'2023		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
27	November'2023		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
28	December'2023		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
29	January'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
30	February'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
31	March'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
32	April'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
33	May'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
34	June'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
35	July'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
36	Aug'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
37	Sept'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
38	Oct'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
39	Nov'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
40	Dec'2024		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
41	Jan'2025		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
42	Feb'2025		0	542500	22500	15000	-580000	--do--
					GRAND TOTAL		-1,64,46,160	

(Rs. One crore sixty four lakh forty six thousand one hundred and sixty only)

27/02/2025
AAO(Housing)

Page 2 of 2

सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

– 41 –

भा.कृ.अ.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
नई दिल्ली–110012
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
New Delhi-110012

Website – www.iari.res.in Email – director@icar.res.in Phone – 011-25843375

No. 21-18/75/H/1688/5

Dated: 02 .05.2025

Smt. Durga Shakti Nagpal,
District Magistrate & Collector,
Lakhimpur Kheri,
Uttar Pradesh-262701

Sub: Payment of damage charges in r/o Bungalow No. B-17 (Type-VI-A), IARI, Pusa Campus, New Delhi

Madam,

Please refer to your e-mail dated 24.03.2025 addressed to the Director, ICAR-IARI requesting for consideration of extended period of stay as deemed allotment of Bungalow# B-17 (Type-VI-A), Pusa Campus, New Delhi. In this regard, it is informed that deemed allotment as requested by you cannot be considered since the allotment of the aforementioned Bungalow was already cancelled by the Institute. Also, the vacation of the aforementioned Bungalow is the consequence of an Order issued by the Estate Officer (N/Z), ICAR, under the provisions of the PP Act, 1971.

An amount of Rs. 88,610/- towards outstanding license fee dues from May, 2015 to April, 2022 has been deposited by you. Therefore, as per the approval of the Director, IARI, you are requested to immediately deposit the pending damage charges pertaining to Bungalow # B-17 (Type-VI-A) in the Bank A/c of ICAR-IARI and provide the transaction details to this office:

Damage charges w.e.f. May, 2022 to February, 2025 -Rs.1,63,57,550/-

The details of Bank A/c of ICAR-IARI is provided for your reference as follows:

1. Name of the Account Holder	- Director, ICAR-IARI
2. A/c Number	- 90293050000017
3. Name of the Bank	- Canara Bank
4. Address	- Canara Bank, IARI, Pusa Campus
5. IFSC Code	- CNRB0019029

Your Sincerely,

(Senior Admn. Officer)

Copy to:

1. Sh. Vijay Kumar, Special Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Appointment & Personnel Department, Lal Bahadur Shastri Bhawan, Annexe Buillding, Sarojini Naidu Marg, Lucknow, Uttar Pradesh-226001.
2. Sh. Ravinder Kumar, PS to Minister, Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110001.
3. P.P.S. to Secretary, DARE & DG, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi-110001.
4. P.P.S. to the Director, ICAR-IARI, New Delhi-110012.
5. P.S. to the Joint Director (Admn.), ICAR-IARI, New Delhi-110012.

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत प्रदान की गई है।